कार्यालय मुख्य अभियन्ता(स्तर–2) ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नियर आकाश रिसोर्ट, भीमताल,(नैनीताल)

Phone No:05942-297010 gmail:cerwdkumaon@gmail.com

पत्रांक 86 /दो–लेखा/निविदा/ग्रा0नि0वि0/2017–18 दिनांक 19, मई, 2017

ई–निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से भारत वर्ष के किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग में भवन निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारो से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्य की निविदा आनलाईन बेबसाइट www.uktenders.gov.in पर दिनांक 07.06.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य हेतु टैकनिकल बिड दिनांक 07.06.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख अधोहस्ताक्षरी या मनोनीत अधिकारी द्वारा आनलाईन कार्यालय मुख्य अभियन्ता(स्तर–2) ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, (भीमताल) नैनीताल में खोली जायेगी। उक्त कार्य की निविदा दिनांक 20.05.2017 की अपराहन से दिनांक 07.06.2017. को अपराहन 1.00 बजे तक आनलाईन डाउनलोडिंग के लिये उक्त बेबसाईट पर उपलब्ध होगी

क्र0 स0	निर्माण कार्य का नाम	जनपद	कार्य की लागत	धरोहर धनराशि (रू में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	ठेकेदार की श्रेणी
1	बीज परीक्षण प्रयोगशाला भवन, रूद्रपुर का निर्माण	उधमसिंहनगर	2,28,50,000.00	4,57,000.00	रू 2290.00	18 माह	90 दिन	श्रेणी ए

निविदा की शर्ते

1–सशर्त /अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसके कार्य सम्पादन करने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो, को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2– ई निविदा में सम्मिलित होने के लिये ठेकेदार के पास आंकित हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र (डी0एस0सी) होना आवश्यक है जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बनाये जा सकते है।

3–धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचतपत्र/डाकघर की सविधि पासबुक/बैंक की एफ0डी0आर0 जो कि मुख्य अभियन्ता(स्तर–2) ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, भीमाताल (नैनीताल) के नाम बंधक हो, मान्य होगी। धरोहर धनराशि की न्यूनतम वैधता अवधि 135 दिन होनी चाहिये।

4–निविदा की दरे प्रतिशत दरों में मान्य होगी जो शब्दों व अंको में स्पष्ट होनी चाहिये।

5–निविदादाता को निविदा की लागत मूल्य का मांग ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिंहनगर के नाम निर्गत एवं payable रूद्रपुर हो, बनाकर टैकनिकल बिड के साथ संलग्न करना होगा।

6–निर्माण कार्य से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिनांक 07.06.2017 से पूर्व किसी भी कार्यदिवस को मुख्य अभियन्ता(स्तर–2) ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, भीमताल एवं अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिंहनगर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही निविदाताओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर ले।

7–किसी एक अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

8–यदि निविदाता द्वारा विभागीय दरो से अत्यधिक कम दरो पर निविदा दी जाती है तो शासनादेश संख्या 6447/iii(2) /ii–20(सा)/ii दिनांक 02.01.2013 में निहित प्राविधानो के अनुसार निविदाता को अतिरिक्त कार्यपूर्ति गारंटी के रूप में धनराशि जमा करनी होगी।

क्रमशः 2

9–समय–समय पर शासनादेशों के अनुसार आयकर/व्यापारकर/रायल्टी/सैस एवं अन्य कटौतियां ठेकेदार के बीजक से की जायेगी।

10–निविदा बिक्री कर वाणिज्य कर आदि निर्गत शासनादेशों के अनुसार व नियमानुसार देय होगा।

11–निविदा स्वीकृती होने की दशा में ठेकेदार को अनुबन्ध करते समय धरोहर धनराशि को सम्मिलित करते हुए 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा तथा निविदा स्वीकृत के एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अनुबन्ध गठित करना होगा।

12–कार्य का अनुबन्ध गठित होने के पश्चात सम्बन्धित ठेकेदार को विभाग द्वारा दी गयी ड्राईग (प्लान, एलीवेशन आदि) तथा निर्धारित मानको के अनुसार अधिशासी अभियन्ता/वर्क इंजीनियर के निर्देशानुसार निर्माण कार्य करना होगा।

13–सफल निविदादाता को कार्य का अनुबन्ध गठित करने से पूर्व ग्रामीण निर्माण विभाग में भवन निर्माण कार्य हेतु ए श्रेणी में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

14–निविदा की अन्य शर्ते मैनुअल प्रपत्र 69–70/जीपीडब्लयू–9/विभाग द्वारा गठित एम0आ0यू0 के अनुसार ही होगा।

15–प्राविधिक परीक्षक(टी0ए0सी0) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कमी पायी जाती है या कोई वसूली निकाली जाती है तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा, आवश्यकता पडने पर टी0ए0सी0 की जांच के उपरान्त ठेकेदार की जमानत धनराशि वापस की जायेगी।

16–यदि शासन द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते है या उक्त कार्य को स्थगित किया जाता है तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य को रोकना पडेगा तथा ठेकेदार किये गये कार्य के लिये ही भुगतान का दावेदार होगा तथा अवशेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

17–सफल निविदाता द्वारा उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत ही कार्य सम्पादित करवाया जायेगा। चार माह के अन्तर्गत द्वितीय किस्त/अवशेष धनराशि प्राप्त न होने पर ठेकेदार अनुबन्ध के अंतिमिकरण हेतु स्वतंत्र होगा।

18–कार्य पर विवाद की स्थित में विवाद क्षेत्र जनपद उधमसिंहनगर होगा।

19–ई निविदा मे प्रतिभाग करने पर दूरसंचार एवं निविदा की वेब साईट मे तकनीकी खराबी आदि से होने वाली कठिनाई हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

20–टैकनिकल बिड क्वालीफाई करने वाले ठेकेदारो की ही फाईनैसियल बिड खोली जायेगी। जिसकी सूचना उन्हें पृथक से दी जायेगी।

21–उक्त कार्य के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा एम0ओ0यू0 किया गया है, जिसमें कार्यो को पूर्ण करने हेतु अवधि निर्धारित की गयी है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर अर्थदण्ड का प्राविधान है। अतः अनुबन्ध कर्त्ता द्वारा यदि कार्य समय से पूर्व नहीं किया गया, तो निर्धारित अर्थदण्ड की वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

22– यदि निर्धारित तिथि को सर्वेर में खराबी/अवकाश होने के कारण निविदा न खोली गयी तो निविदा अगले कार्यदिवस पर उक्त समय पर खोली जायेगी।

टिप्पणीः निविदा की अन्य शर्त एवं कार्य की विस्तृत जानकारी मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल(भीमताल) नैनीताल एवं अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिंहनगर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस/वेबसाईट www.uktenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

19/5/18

(ई0 ए0के0पंत)
मुख्य अभियन्ता(स्तर–2)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
कुमायूँ मण्डल, भीमताल(नैनीताल)